प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 45 / 2024 (अपील सूचना का अधिकार)

पंकज चौधरी पुत्र बसन्ती लाल चौधरी निवासी: 17–18, माधव कॉलोनी, गणेश नगर, कालका माता रोड़, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 03/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 45 / 24 / 538–39 दिनांक 09.05.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 1175 दिनांक 03.06.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बिन्दु संख्या 1 की सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय गिर्वा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 700 दिनांक 18.03.2024 तहसीलदार गिर्वा को अंतरित कर दिया गया था। अतः जवाब स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार गिर्वा से संबंधित होने से प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार गिर्वा को हस्तांतरित कर दिया गया। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय से संबंधित नहीं होकर तहसील कार्यालय गिर्वा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार गिर्वा को हस्तांतरित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

अपीलार्थी को चाहिए की वह सक्षम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत होकर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वाएवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर